राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या :– 26/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुरेश पुत्र हरदानराम 2. ओमप्रकाश विश्नोई पुत्र हरदानराम जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कलां तहसील धोरीमन्ना		1. किशनाराम पुत्र प्रहलादराम 2. भाखराराम पुत्र हिरकनराम 3. हरदानराम पुत्र हिरकनराम 4. वाली पत्नी हिरकनराम 5. ठाकराराम पुत्र नरसिंगाराम 6. हीराराम पुत्र नरसिंगाराम 7. पारू पत्नी नरसिंगाराम 8. मुमल पुत्री मिरगा 9. आसी पुत्री गेनाराम 10. केली पुत्री गेनाराम 11. सोहनी पुत्री गेनाराम 12. सुवटी पुत्री गेनाराम जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कलां तहसील धोरीमन्ना 13. तहसीलदार, धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 07/02/23

अधिवक्तागण :– 1. श्री हापूराम गोदारा, अधिवक्ता प्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 26/07/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हापूराम गोदारा द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 93/13 रकबा 3.4641 हैक्टेयर मौजा सनावड़ा कला पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेती के सम्बन्ध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

26.07.23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

उपयोग नही कर सकते है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 25.11.2022 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का अवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा सनावड़ा कला पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर कुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 12 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, प्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 07.07.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 01 व 02 विवादित आराजी खसरा संख्या 93/13 रकबा 3.4641 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.11.2022 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 93/13 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माटें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र मत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 93/13 रकबा 3.4641 हैक्टेयर किस्म [illegible] तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसगत समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

26.07.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम सनावड़ा कला, पटवार मण्डल भीमथल, तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2077 के खाता संख्या 82 के खसरा संख्या 93/13 रकबा 3.4641 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी की कार्यवाही की जावे। उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय व तिथी बाबत् सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करे। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

26.07.23

(लखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 26/07/2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

26.07.23

(लखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:12 IST
Reason: SelfAttested